



## राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./संस्था/2020/104-109

दिनांक 18.05.2020

20


### कार्यालय आदेश

राज्य में फैली कोविड महामारी के प्रकोप के कारण व राज्य सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के चलते राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में सुनवाई का कार्य अति आवश्यक प्रकरणों में ही किया जाना संभव है।

अतः कोई भी अपीलार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत अपनी जीवन अथवा स्वतन्त्रता से संबंधित सूचना नियमानुसार आवेदन करने व प्रथम अपील करने के पश्चात भी सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अथवा प्रदत्त सूचना से असंतुष्ट होने पर आयोग के समक्ष व्हाट्स एप्प मोबाईल नम्बर 9799996116 पर समस्त दस्तावेजों के साथ द्वितीय अपील लॉकडाउन की अवधि में कर सकेगा।

उक्त अपील में अपीलार्थी अपने व्हाट्स एप्प नम्बर के साथ नियमानुसार वांछित समस्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति भी प्रस्तुत करेगा।


उपरोक्त द्वितीय अपील प्राप्त होने एवं जिन्दगी अथवा स्वतन्त्रता के मापदण्डों पर उचित एवं नियमानुसार सही पाये जाने पर आयोग अपीलार्थी को उनके द्वारा प्रेषित व्हाट्स एप्प नम्बर पर सूचित करेगा। अन्य प्रकरणों की सुनवाई दिनांक 02.06.2020 तक स्थगित रहेगी। यह आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

  
रजिस्ट्रार

राजस्थान राज्य सूचना आयोग  
जयपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय सूचना आयुक्त महोदय-द्वितीय/तृतीय
3. उप रजिस्ट्रार
4. प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को आयोग की वेबसाईट पर तुरन्त अपलोड करें।
5. रक्षित पत्रावली

  
रजिस्ट्रार